(80)

राजस्थान सरकार

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग

No. F.21 (19) Edu-1/E.E./ 2009 Dated : 16-05-2011

परिपत्र

विषयः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम 2011 – परिवेदना निस्तारण (Grievence Redressal)।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. शिक्षकों के लिए : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं तत्संबंधी नियमों को लागू करने की दृष्टि से शिक्षकों को किसी भी प्रकार कोई परिवेदना है तो वे निम्नानुसार निस्तारण हेतु प्रक्रिया का पालन करेंगे :–
   - शिक्षक द्वारा परिवेदना इस कार्य के लिए ब्लॉक स्तर पर गठित समिति के सदस्य सचिव को प्रस्तुत की जायेगी।
   - ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक में कार्यरत अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों में से किसी एक को नियम 24 के अनुसार परिवेदना निस्तारण के लिए सदस्य सचिव का दायित्व घोषित करना होगा।
   - उपरोक्तानुसार आवंटित कार्य के अनुसार सदस्य सचिव प्राप्त परिवेदनाओं को पंजीकृत करेंगे।
   - सदस्य सचिव द्वारा समिति के अध्यक्ष की अनुमति से परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए प्रति माह एक बैठक आयोजित की जायेगी। इस बैठक में आवश्यकता होने पर शिक्षक तथा जिस पक्ष के विरूद्ध परिवेदना प्रस्तुत की गई है, को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।
   - सुनवाई के बाद समिति को अपना निर्णय पत्रावली पर अंकित करना होगा जिस पर अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव के हस्ताक्षर होंगे। सदस्य सचिव द्वारा समिति का निर्णय संबंधित शिक्षक को तत्काल प्रेषित किया जायेगा। यदि निर्णय पर की जाने वाली कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर की है तो निर्णय की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

....2

- यदि शिक्षक ब्लॉक स्तरीय समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसके विरूद्ध अपील जिला स्तरीय समिति में की जा सकती है।
- जिले में प्राप्त अपील का पंजीकरण जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा।
- जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव का दायित्व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को आवंटित किया जायेगा।
- जिले में प्राप्त समस्त अपीलों पर अध्यक्ष की अनुमति से मासिक बैठक आयोजित होगी तथा इस बैठक में भी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दियां जायेगा।
- जिला स्तरीय समिति का निर्णय पत्रावली पर अंकित होगा जिस पर अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव के हस्ताक्षर होंगे। सदस्य सचिव इस निर्णय से संबंधित शिक्षक को अवगत करायेगा।
- निर्णय करने में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ब्लॉक स्तर पर पंजीकृत होने के बाद जिला स्तर पर अंतिम निर्णय होने तक तीन माह से अधिक का समय नहीं लगे।

2. बालकों/माता–पिता के लिए : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन होने अथवा पालना नहीं होने की स्थिति में निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–
   - पीड़ित पक्ष द्वारा अपनी शिकायत विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को दर्ज कराई जायेगी।
   - शाला प्रबंधन समिति द्वारा यह व्यवस्था की जायेगी कि इस प्रकार की शिकायतों के लिए एक पंजिका संधारित कर शिकायतें इस पंजिका में संधारित करें।
   - इस प्रकार दर्ज की गई समस्त शिकायतों के निस्तारण पर शाला प्रबंधन समिति की नियमित बैठक में विचार किया जायेगा। आवश्यकता होने पर विशेष बैठक भी आयोजित की जा सकेगी।
   - समिति की बैठक में संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।
   - सभी पक्षों को सुनने के बाद समिति द्वारा अपना निर्णय पारित किया जायेगा।

....3

- इस निर्णय पर कार्यवाही यदि समिति के स्तर पर सम्भव नहीं है तो निर्णय कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जायेगा।
- सक्षम अधिकारी यह व्यवस्था करेंगे कि इस प्रकार के निर्णय पर कार्यवाही में शिकायत दर्ज होने की तिथि से तीन माह के अन्दर कार्यवाही कर ली जावे।
- शिकायतकर्ता यदि उक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस.सी.पी.सी.आर.) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर). में भी जा सकता है।

नोट : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम 2011 के प्रावधानों की पालना/उल्लंघन के संबंध में यदि अन्य वर्गों को भी कोई परिवेदना हो तो वे उक्त दी गई व्यवस्था के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार अपनी परिवेदना दर्ज करा सकते हैं।

प्रमुख शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कमांक–शिविरा/प्रारं/अनिशिअ/4146/एसएमसी/10–11 . दिनांक– 19/5/2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर
2. आयुक्त,राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद,जयपुर।
3. आयुक्त,माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय,बीकानेर।
4. समस्त उपनिदेशक,प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)

संयुक्त निदेशक(शैक्षिक)
प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर